अध्याय–2

लेखांकन के सैद्धान्तिक आधार

(Theory Base of Accounting)

सीखने के उद्देश्य

इस अध्याय के अध्ययन के पश्चात् आप :

- लेखांकन के सैद्धान्तिक आधार जान सकेंगे।
- लेखांकन के मान्य सिद्धान्तों का वर्णन कर सकेंगे।
- लेखांकन की संकल्पनाओं का अर्थ व उद्देश्य विस्तारपूर्वक बता सकेंगे।
- इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स द्वारा जारी लेखांकन मानक बता सकेंगे।
- लेखांकन प्रणालियों के बारे में जान सकेंगे।
- लेखांकन के आधार समझा सकेंगे।
- लेखांकन मानकों को बता सकेंगे।

लेखांकन व्यवसाय की भाषा है। जिस प्रकार भाषा आपके विचारों को अभिव्यक्त करती है, उसी प्रकार लेखांकन विवरण तथा प्रतिवेदन व्यवसाय की स्थिति का चित्रण करते हैं। लेखांकन में वित्तीय प्रकृति के लेनदेन का लेखा, वर्गीकरण, संक्षिप्तीकरण किया जाकर परिणामों की सूचना उपलब्ध कराई जाती है। इन सूचनाओं के आधार पर इसके आन्तरिक और बाह्य उपयोगकर्ता निर्णय लेते हैं। अत: लेखांकन द्वारा उपलब्ध की जाने वाली सूचनाओं में एकरूपता होनी चाहिए ताकि संबंधित पक्ष उन पर विश्वास कर सके। यह तभी संभव है जब लेखांकन के कोई सिद्धान्त हो।

हालांकि लेखांकन के सिद्धान्त भौतिक विज्ञान के सिद्धान्तों के समान अटल नहीं हो सकते फिर भी इन सिद्धान्तों को विज्ञान के रूप में मान्यता दी गई है। लेखांकन प्रक्रिया में निश्चित नियमों का पालन किया जाता है तथा सार्वभौमिक परिणाम ज्ञात किये जा सकते हैं।

सामान्यत: मान्य लेखांकन सिद्धान्तों का विकास एक लम्बी अवधि में पूर्व अनुभवों, प्रयोगों अथवा परम्पराओं द्वारा हुआ है। इन्हें व्यक्तियों एवं पेशेवर निकायों के विवरणों एवं सरकारी एजेन्सियों द्वारा नियमन का आधार मिला है, अत: अधिकाधिक पेशेवर लेखाकारों द्वारा सामान्य रूप से स्वीकार किये जाते हैं। इनमें वैधानिक, सामाजिक तथा आर्थिक वातावरण से प्रभावित होकर परिवर्तन होता रहता है। इनमें उपयोगकर्ताओं की आवश्यकता के अनुरूप भी परिवर्तन, परिवर्द्धन संभव है। इस प्रकार लेखांकन के सिद्धान्त विकास की प्रक्रिया के दौर में ही है।

लेखांकन के मान्य सिद्धान्त – जैसा कि हमने ऊपर चर्चा की लेखांकन के सिद्धान्त भौतिक विज्ञान के सिद्धान्तों के समान अटल नहीं हो सकते फिर भी लेखांकन प्रक्रिया में निश्चित नियमों का पालन किया जाता है। अत: इन सिद्धान्तों को विज्ञान के रूप में मान्यता दी गई है। इन्हीं सिद्धान्तों के आधार पर लेखांकन अभिलेखों में समानुरूपता व एकरूपता लाई जाती है जिन्हें इस पेशे से जुड़े सभी पक्षों की सामान्य स्वीकृति प्राप्त है। सामान्यतया इन मान्य सिद्धान्तों का विकास एक लम्बी अवधि के बाद हुआ है और समयानुसार व आवश्यकतानुसार इनमें परिवर्तन, परिवर्द्धन होता रहता है।

ए.आई.सी.पी.ए. (The American Institute of Certified Public Accounting) ने लेखांकन के सिद्धान्तों की परिभाषा इस प्रकार दी है।

''कोई साधारण कानून अथवा अपनाया गया नियम अथवा ज्ञापित क्रिया निर्देशक या प्रशस्त आधार अथवा आचरण या अभ्यास ही लेखांकन सिद्धान्त है।''

इस प्रकार सामान्य मान्य सिद्धान्तों से तात्पर्य व्यवसाय के वित्तीय प्रकृति के लेनदेनों के अभिलेखन एवं प्रस्तुतिकरण में अपनाये गये नियम व दिशा निर्देश हैं जो इनमें एकरूपता एवं तुलनीयता प्रदान कर सके।

व्यवहारिक तौर पर लेखांकन के मान्य नियम एवं दिशानिर्देश की व्याख्या कोई लेखक सिद्धान्त के रूप में करता है तो कोई लेखक संकल्पना के रूप में करता है। कोई लेखक परिपाटी के रूप में करता है तो कोई लेखक अभिधारणा के रूप में करता है। इस कारण विद्यार्थी भ्रमित हो जाते हैं, अत: इन अलग अलग शब्दों के स्थान पर प्रस्तुत अध्याय में इन सबकी व्याख्या लेखांकन संकल्पनाओं के रूप में की जा रही है।

लेखांकन संकल्पनाएँ या अवधारणाएँ – लेखांकन की संकल्पनाएँ निम्नानुसार है –

1. अस्तित्व संकल्पना	2. मुद्रा मापन संकल्पना	3. निरन्तरता की संकल्पना
4. लेखांकन अवधि संकल्पना	5. लागत संकल्पना	6. द्विपक्षीय संकल्पना
7. आगम मान्यता संकल्पना	8. आगम व्यय मिलान संकल्पना	9. उपार्जन संकल्पना
10. पूर्ण प्रस्तुतिकरण संकल्पना	11.समनुरूपता की संकल्पना	12. रूढ़िवादिता की संकल्पना
13. सारता की संकल्पना	14. वस्तुनिष्ठता की संकल्पना	

1. **अस्तित्व संकल्पना (Entity Concept)** – इस संकल्पना के अन्तर्गत व्यवसाय तथा व्यवसाय के स्वामी का अस्तित्व पृथक पृथक माना जाता है। व्यवसाय का स्वामी व्यवसाय में उसके द्वारा विनियोजित पूंजी की राशि से लेनदार माना जाता है। अत: व्यवसाय के स्वामी द्वारा व्यवसाय में विनियोजित पूँजी को दायित्व पक्ष में दिखाया जाता है। इसी प्रकार स्वामी व्यवसाय से कुछ धन अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए निकालता है तो उसे स्वामी की पूँजी में कमी माना जाता है। व्यवसाय में लेखांकन अभिलेख व्यापार के दृष्टिकोण से रखे जाते हैं न कि स्वामी के दृष्टिकोण से। यदि इस संकल्पना का पालन नहीं किया जावे तो व्यवसाय के स्वामियों के निजी आय-व्यय व्यवसाय के आय-व्ययों में सम्मिलित हो जावेंगे और इसके परिणामस्वरूप व्यवसाय के सही लाभ हानि का निर्धारण नहीं किया जा सकेगा। इसी प्रकार व्यवसाय की सम्पत्तियों में निजी सम्पत्तियाँ तथा व्यवसाय के दायित्वों में निजी दायित्व जोड़ दिए जावे तो व्यवसाय की सही आर्थिक स्थिति का निर्धारण नहीं हो सकेगा।

लेखांकन का मुख्य उद्देश्य यह ज्ञात करना होता है कि व्यवसाय में एक निश्चित अवधि में कितनी आय एवं कितना व्यय हुआ है एवं व्यवसाय के दायित्व एवं सम्पत्तियाँ क्या हैं ? यह तभी संभव है जब व्यवसाय का अस्तित्व तथा स्वामी का अस्तित्व अलग अलग रखा जावे।

2. **मुद्रामापन संकल्पना (Money Measurement Concept)** – इस संकल्पना के अन्तर्गत व्यवसाय में लेखांकन केवल उन्हीं लेनदेनों या घटनाओं का होगा जिनका मूल्यांकन मुद्रा में किया जा सकता हो अर्थात् ऐसी मदें जिनका मापन मुद्रा में नहीं हो सकता हो उनका लेखांकन पुस्तकों में नहीं किया जावेगा चाहे वे मद व्यवसाय के लिये महत्त्वपूर्ण ही क्यों नहीं हो जैसे – प्रबन्धक की विश्वसनीयता, कर्मचारियों की अच्छी टीम, सरकारी नीतियाँ, ग्राहकों की रुचि में परिवर्तन आदि घटनाएँ व्यवसाय को प्रभावित करती हैं लेकिन उनका मौद्रिक मापन नहीं होने के कारण व्यवसाय के लेखांकन में स्थान प्राप्त नहीं करती है।

लेखांकन राशि (₹) में ही किया जाता है न कि मात्रा में। वस्तु मापन का मूल्यांकन मौद्रिक होता है तथा लेखांकन मौद्रिक इकाई में ही होता है न कि मात्रात्मक इकाई जैसे किलोग्राम, क्विंटल, टन, मीटर, बैरल आदि में। उदाहरण के लिए किसी व्यवसाय में किसी दिन एक फैक्टरी 2 एकड़ भूमि पर स्थित हो सकती है, कार्यालय के भवन में 15 कमरे हो सकते हैं, 2 टन सूत (कच्चा माल) हो सकता है, 20,000 मीटर कपड़ा हो सकता है, बैंक में 2 लाख ₹ तथा 5 पर्सनल कम्प्यूटर हो सकते हैं। ये सभी परिसम्पत्तियाँ भिन्न भिन्न इकाई में होने के कारण व्यवसाय की कुल परिसम्पत्तियाँ कितनी हैं नहीं बता सकतीं। इसलिए लेखांकन के उद्देश्य से इन सब परिसम्पत्तियों की मौद्रिक इकाई अर्थात् रुपयों में गणना होनी चाहिए। उपरोक्त उदाहरणार्थ प्रश्न में फैक्टरी की कीमत 3 करोड़ ₹, कार्यालय भवन की कीमत 2 करोड़ ₹, 2 टन सूत की कीमत 4 लाख ₹, 20,000 मीटर कपड़े की कीमत 40 लाख ₹, बैंक में 2 लाख ₹ तथा 5 पर्सनल कम्प्यूटर की कीमत 3 लाख ₹ है तो व्यवसाय की कुल परिसम्पत्तियों की कीमत 5 करोड़ 49 लाख ₹ है। इसी प्रकार अन्य लेनदेनों का मूल्य भी मौद्रिक इकाई में होना चाहिए।

मुद्रा मापन संकल्पना की एक सीमा है। कुछ समय पश्चात मूल्यों में परिवर्तन के कारण मुद्रा की क्रय शक्ति में परिवर्तन हो जाता है तो वर्तमान में बढ़ी हुई कीमतों के कारण दस वर्ष पूर्व खरीदी गई परिसम्पत्ति का मूल्य आज की तुलना में काफी कम है। इसलिए अलग-अलग समय में क्रय की गई परिसम्पत्तियों की कीमत जोड़ते हैं तो सही स्वरूप प्रस्तुत नहीं हो पाता। उदाहरणार्थ 1990 में क्रय की गई भूमि 2 करोड़ तथा 2002 में क्रय किया गया कार्यालय भवन 1 करोड़ तथा 2009 में क्रय किया गया भवन 5 करोड़ है तो इनको एक वर्ग में नहीं रखा जा सकता क्योंकि स्थिति विवरण में मुद्रा के मूल्यों में आ रहे परिवर्तन को दर्शाया नहीं जाता है।

3. **निरन्तरता की संकल्पना (Going Concern Concept)** – इस संकल्पना के अन्तर्गत लेखांकन इस आधार पर किया जाता है कि व्यवसाय दीर्घकाल तक चलता रहेगा जब तक कि कोई ऐसा कारण उपस्थित न हो जो कि विपरीत स्थिति प्रकट करे। इसी संकल्पना के आधार पर ही हम दीर्घकाल में उपयोग करने के लिए स्थायी परिसम्पत्तियाँ जैसे भवन, मशीन, भूमि आदि क्रय करते हैं। यदि व्यवसाय के दीर्घकाल तक जारी रखने का उद्देश्य नहीं होता तो हम परिसम्पत्तियाँ क्रय करने के बजाय किराये पर लेते। इसी संकल्पना के आधार पर परिसम्पत्तियों का चालू व स्थायी में वर्गीकरण करते हैं और स्थायी परिसम्पत्तियों के भावी उपयोगी जीवनकाल की गणना करते हैं। स्थायी परिसम्पत्तियों पर प्रतिवर्ष केवल ह्रास को ही अपलिखित करते हैं। यदि व्यवसाय के दीर्घकाल तक चलने की संकल्पना नहीं होती तो स्थायी परिसम्पत्तियों का मूल्यांकन भी बाजार मूल्य या प्रतिस्थापन मूल्य को आधार बनाकर करते।

निरन्तरता की संकल्पना के आधार पर ही बाह्य पक्षों के साथ दीर्घकालीन समझौते करते हैं। दीर्घकालीन ऋण, अंश, ऋण पत्रों का क्रय भी बाह्य पक्ष इसी संकल्पना के आधार पर करते हैं। आयगत व्ययों को चालू वर्ष का मानकर लाभ हानि खाते में दिखाते हैं जबकि

पूँजीगत व्ययों को स्थिति विवरण में परिसम्पत्ति पक्ष में दिखाते हैं। यद्यपि यह मानकर कि व्यवसाय निरन्तर चालू रहेगा फिर भी लाभ हानि खाता तथा स्थिति विवरण आदि प्रतिवेदन लेखा अवधि की संकल्पना के अन्तर्गत लेखा अवधि विशेष में पूर्ण कर वार्षिक परिणाम ज्ञात करते हैं। इसी प्रकार जहाँ इस प्रकार के प्रमाण उपलब्ध हों कि व्यवसाय निश्चित अवधि तक ही चलेगा जैसे संयुक्त साहस आदि में तो निरन्तरता की संकल्पना को ध्यान में न रखते हुए लेखांकन उस निर्धारित अवधि के आधार पर ही करना चाहिए। दी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऑफ इण्डिया के द्वारा निर्धारित लेखा मानक (1) में भी यह स्पष्ट किया गया है कि यदि निरन्तरता की संकल्पना का पालन नहीं किया जाता है तो वित्तीय विवरणों में इसका कारण सहित उल्लेख करना होगा।

4. **लेखांकन अवधि संकल्पना (Accounting Period Concepts)** – इस संकल्पना के अन्तर्गत व्यवसाय की स्थिति की जानकारी उसमें हित रखने वालों को समय-समय पर दी जानी चाहिए। यह लेखा अवधि सामान्यतया एक वर्ष की होती है, इसे व्यवसाय का लेखा वर्ष या वित्तीय वर्ष कहा जाता है। वर्तमान में आयकर प्रावधानों के अनुसार सरकारी वित्तीय वर्ष के अनुरूप (1 अप्रैल से 31 मार्च) ही लेखा वर्ष रखना अनिवार्य कर दिया गया है।

हालांकि व्यवसाय की निरन्तरता की संकल्पना के अन्तर्गत व्यवसाय दीर्घकाल तक चलता रहता है लेकिन व्यवसाय के अन्तिम खाते यदि व्यवसाय की समाप्ति पर ही बनाये जाते तो यह किसी दृष्टि से व्यावहारिक नहीं है और न ही ऐसा किया जाना संभव है।

इसी संकल्पना के अन्तर्गत आयगत और पूंजीपत मदों का विभाजन किया जाता है। ऐसी मद जो एक लेखा वर्ष के लिए उपयोगी है उन्हें आयगत तथा जो अधिक लेखावधियों तक उपयोगी हो, उन्हें पूंजीगत में विभक्त किया जाता है। वर्तमान में बड़ी-बड़ी कम्पनियां अपने त्रैमासिक एवं अर्द्धवार्षिक परिणाम भी घोषित करती है ताकि संबंधित पक्षकारों को इसकी जानकारी हो सके।

5. **लागत संकल्पना (Cost Concept)** – इस संकल्पना के अन्तर्गत चल एवं अचल परिसम्पत्तियों का लेखा उनके लागत मूल्य पर ही किया जाता है। इसमें उस परिसम्पत्ति का प्राप्ति मूल्य, परिवहन व्यय, स्थापना पर किये गये व्यय सम्मिलित होते हैं जो उस परिसम्पत्ति को काम में लाने योग्य बनाने के लिए आवश्यक है। जैसे किसी व्यवसाय ने मशीन को 5 लाख ₹ में खरीदा और उसे अपने व्यवसाय में लाने के लिए परिवहन व्यय 5000 ₹ व्यय किये तथा उसकी स्थापना के लिए 10,000 ₹ व्यय किये तो उस मशीन की ऐतिहासिक लागत 5 लाख 15 हजार ₹ होगी। स्थिति विवरण में मशीन की कीमत यही दिखाई जावेगी। वर्षों के अन्तराल पर भी नहीं बदलेगी। ह्रास योग्य परिसम्पत्तियों पर प्रतिवर्ष मूल्य ह्रास लगाया जाता है तथा उनकी लागत में से मूल्य ह्रास घटाकर उनका अपलिखित मूल्य स्थिति विवरण में दर्शाया जावेगा।

लेखांकन विशेषज्ञों का मत है कि परिसम्पत्ति का लेखा लागत मूल्य पर ही किया जावे क्योंकि बाजार मूल्य कितना है इसमें व्यक्तिपरकता का दोष आ सकता है जबकि लागत मूल्य साक्ष्यों पर आधारित होने के कारण निश्चित एवं विश्वसनीय होते हैं।

इस संकल्पना की एक महत्त्वपूर्ण सीमा है कि यह व्यवसाय की वास्तविक स्थिति का प्रदर्शन नहीं करती क्योंकि मूल्य वृद्धि के समय बाजार मूल्य पुस्तकों में दिखाये गये मूल्य से अधिक है तो परिसम्पत्ति ऊँचे मूल्य की होने के कारण गुप्त लाभ होने की संभावना रहती है।

6. **द्विपक्षीय संकल्पना (Dual Aspect Concept)** – इस संकल्पना के अन्तर्गत प्रत्येक लेनदेन का दो खातों पर प्रभाव पड़ता है। एक खाते के नाम पक्ष को तो दूसरे खाते के जमा पक्ष को प्रभावित करता है। यही द्विपक्षीय लेखा पद्धति का आधार है। कोई भी व्यवहार एक पक्षीय नहीं होता अत: नाम व जमा का योग हमेशा बराबर रहता है। उदाहरणार्थ यदि व्यवसाय में परिसम्पत्तियों में वृद्धि होती है तो लेनदार अथवा पूंजी में अवश्य वृद्धि होगी जो तलपट तथा स्थिति विवरण में योग बराबर बनाए रखेगी। जैसे किसी व्यवसायी ने 50,000 ₹ की पूंजी से व्यापार प्रारम्भ किया तो 50,000 ₹ पूंजी के रूप में दायित्व पक्ष में लिख जावेंगे। दूसरी ओर इतनी ही राशि रोकड़ के रूप में व्यवसाय में आवेगी जो परिसम्पत्ति पक्ष में दिखाई जावेगी। इसी प्रकार मान लीजिए हमने 10,000 ₹ की मशीन खरीदी तो इस लेनदेन में 10,000 ₹ रोकड़ में कम हो जावेंगे तथा मशीन के रूप में परिसम्पत्ति पक्ष में वृद्धि हो जावेगी। इस प्रकार एक परिसम्पत्ति का स्थान दूसरी परिसम्पत्ति ले सकती है या दायित्वों में वृद्धि हो सकती है या पूंजी में वृद्धि हो सकती है। यही द्विपक्षीय संकल्पना ही द्विपक्षीय लेखा पद्धति का मूल है।

इस संकल्पना को लेखांकन समीकरण में इस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है-

परिस्म्पत्तियाँ = देयताएँ + पूँजी

अर्थात व्यवसाय की परिसम्पत्तियों का मूल्य सदैव स्वामी व बाहरी लेनदारों की देनदारियों के बराबर होता है। इसे आगे के अध्याय में विस्तार से स्पष्ट किया गया है।

7. **आगम मान्यता संकल्पना (Revenue Recognition Concept)** – इस संकल्पना के अन्तर्गत किसी भी आगम को पुस्तकों में तब तक नहीं लिखना चाहिए जब तक वह वास्तविक रूप में प्राप्त न हो जाए। यहां पर प्राप्ति से तात्पर्य यदि रोकड़ में मूल्य प्राप्ति से है तो नकद बिक्री में तो कोई समस्या नहीं आती क्योंकि जिस तिथि को माल की सुपुर्दगी की जाती है उसी दिन रोकड़ की प्राप्ति हो जाती लेकिन दूसरे लोगों से उपयोग के बदले हुई प्राप्तियां जैसे ब्याज, कमीशन, लाभांश आदि को आगम तभी माना जाता है जब उसकी प्राप्ति पर व्यवसाय

का विधि सम्मत अधिकार हो जाता है। इसलिए उधार बिक्री को विक्रय की तिथि से ही आगम माल लिया जाता है न कि रोकड़ मिलने की तिथि से। ब्याज, कमीशन, लाभांश आदि आयों को समय के आधार पर मान्य माना जाता है। उदाहरणार्थ मार्च 2010 का किराया अप्रैल 2010 में प्राप्त हो तो भी मार्च 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में लिखा जावेगा जबकि अप्रैल 2010 का किराया मार्च 2010 में मिल गया हो तो उसे मार्च 2011 में समाप्त होने वाले वर्ष में लिखा जावेगा।

इस संकल्पना के कुछ अपवाद भी है। किराया क्रय पद्धति में राशि प्राप्त होने पर ही लेखा किया जाता है। इसी प्रकार किसी कार्य के ठेके में तीन वर्ष लगते हैं तो एक वर्ष में किये गये कार्य का मूल्यांकन कर अनुमानित राशि को चालू वर्ष की आगम मान लिया जाता है।

8. **आगम व्यय मिलान संकल्पना (Matching Concept)** – इस संकल्पना के अन्तर्गत अवधि विशेष में अर्जित आगमों का मिलान उसी अविध के व्ययों से किया जाता है। जैसे कि पहले बताया जा चुका है आगम को मान्य या अर्जित तभी मान लिया जाता है जब विक्रय हो जाता है या सेवा प्रदान कर दी जाती है न कि जब उसके बदले में रोकड़ प्राप्त की जाती है। इसी प्रकार व्यय को भी तभी व्यय मान लिया जाता है जब उससे किसी परिस्म्पत्ति या आगम का अर्जन हो गया हो न कि जब उसका रोकड़ भुगतान हुआ हो। उदाहरणार्थ किराया, वेतन, बीमा आदि व्यय जिस समय देय है उसके अनुसार ही खर्च मान लिया जाता है न कि जब वास्तविक रूप से उनका भुगतान किया जावे।

लाभ हानि खाते में वर्ष विशेष के आगमों को लिखा जाता है चाहे उनके बदले रोकड़ मिली या नहीं तथा वर्ष विशेष के व्ययों को लिखा जाता है चाहे उनका रोकड़ में भुगतान हुआ या नहीं। इससे वर्ष विशेष की लाभ अथवा हानि की गणना हो जाती है।

9. **उपार्जन संकल्पना (Accrual Concept)** – इस संकल्पना के अन्तर्गत लेखांकन के मौद्रिक प्रभाव का लेखा खातों में उसके उपार्जन के समय के अनुसार किया जाता है न कि इसके बदले में वास्तविक मौद्रिक विनिमय के समय। यह व्यवसाय के लाभ की गणना का अधिक श्रेष्ठ आधार है क्योंकि इसके अनुसार आगम व व्ययों का मिलान संभव है। इस संकल्पना के समझने के लिए आगम एवं व्यय संकल्पनाओं को ध्यान में रखना चाहिए। उनके अनुसार यदि कोई आगम चालू वर्ष से संबंधित है तो चाहे वो इस वर्ष प्राप्त हुई हो या नहीं इस वर्ष के लाभ हानि खाते में लिखी जावेगी। इसी प्रकार यदि कोई व्यय चालू वर्ष से संबंधित है तो चाहे वो इस वर्ष चुकाया गया हो अथवा नहीं उसे इस वर्ष के लाभ हानि खाते में लिखा जावेगा। इसी प्रकार इस संकल्पना में भी आगम व व्ययों की मदों को पुस्तकों में उस समय लिखते हैं जबकि वे देय हो जाती है। अर्थात लेनदेन के समय ही मान्यता दी जाती है न कि उनके वास्तविक प्राप्ति या भुगतान के समय। जैसे मनोज ने फर्नीचर का व्यवसाय शुरू किया और 50,000 ₹ का फर्नीचार खरीदा। इस माल को उसने 60,000 ₹ में एक ग्राहक को बेच दिया। ग्राहक ने 50,000 ₹ नकद तथा 10,000 ₹ शीघ्र भुगतान का आश्वासन दिया। व्यवसाय की आय 60,000 ₹ होगी।

10. **पूर्ण प्रस्तुतिकरण संकल्पना (Full Disclosure Concept)** – इस संकल्पना के अन्तर्गत सभी महत्त्वपूर्ण सूचनाओं का पूर्णरूपेण प्रदर्शन होना चाहिए। वित्तीय विवरणों से उपलब्ध कराई गई सूचनाओं का उपयोग विभिन्न पक्षकार जैसे निवेशक, ऋणदाता, माल की आपूर्ति करने वाले समूह व अन्य अपने विभिन्न निर्णयों के लिए करते हैं। चूंकि स्वामियों का समूह उसका प्रबन्ध कर रहे समूह से भिन्न होता है अत: विभिन्न सूचनाओं के लिए केवल वित्तीय विवरण ही उपलब्ध होते हैं, इसलिए इन विवरणों में सही, पर्याप्त एवं पूर्ण सूचनाएँ होनी चाहिए। पूर्ण सत्यता के साथ महत्त्वपूर्ण सूचनाओं के प्रकटीकरण के आधार पर ही यह संभव होगा कि ये वित्तीय विवरण सही एवं उचित चित्रण प्रस्तुत करने में सक्षम है। सारपूर्ण एवं आवश्यक तथ्यों का उल्लेख वित्तीय विवरणों में टिप्पणियों, पाद टिप्पणियों के रूप में किया जा सकता है ताकि विभिन्न पक्ष सही मूल्यांकन कर सके। भारतीय कम्पनी अधिनियम 1956 में लाभहानि खाते व स्थिति विवरण बनाने के सम्पूर्ण प्रारूप दिये गये हैं तथा वित्तीय विवरणों को बनाते समय उन्हीं प्रारूपों को पालन करना वैधानिक रूप से अनिवार्य कर दिया गया है। सेबी भी कम्पनियों को अपनी लाभार्जन क्षमता एवं स्थिति के विवरण को सही व पूर्ण प्रस्तुत करने का आदेश देती है।

11. **समानुरूपता या संगतता की संकल्पना (Consistency Concept)** – इस संकल्पना के अन्तर्गत व्यवसाय को विभिन्न वर्षों में समान लेखा नीतियों एवं सिद्धान्तों को अपनाना चाहिए। वित्तीय सूचनाओं के उपयोगकर्ता किसी निर्णय पर पहुचने से पहले उपलब्ध सूचनाओं का अन्य समान व्यवसाय करने वालों की सूचनाओं से तुलना कर सकते हैं या उसी व्यवसाय के पिछले वित्तीय विवरणों से भी तुलना कर सकते हैं। यह तुलनात्मक अध्ययन तभी संभव है जब व्यवसाय अपने खातों के लेखांकन में प्रयोग लाई जाने वाली नीतियों व अभ्यासों को लम्बे समय तक समानता एवं समनुरूपता से अपनाता है। इसी प्रकार दो व्यवसायों के वित्तीय विवरणों में भी तुलना तभी संभव है जब दोनों व्यवसाय समान नीतियों का पालन करते हों। उदाहरण के लिए एक निवेशक व्यवसाय विशेष के वर्तमान लाभ की तुलना पिछले वर्ष के लाभ से कर सकता है लेकिन यदि पिछले वर्ष की लेखांकन नीति एवं चालू वर्ष की लेखांकन नीति में अन्तर है तो क्या यह तुलना उचित होगी? इसी प्रकार गत वर्ष परिसम्पत्तियों पर ह्रास अपलिखित करने के लिए स्थायी किश्त पद्धति अपनायी जाती थी और इस वर्ष क्रमागत ह्रास पद्धति अपनाई जावे तो वित्तीय विवरणों की तुलना सही नहीं होगी।

इस संकल्पना से लेखांकन नीतियों में परिवर्तन करना वर्जित हो ऐसा नहीं है किन्तु परिवर्तन की सम्पूर्ण सूचना विवरणों में उपलब्ध होनी चाहिए तथा इसके कारण पड़ने वाले प्रभावों का भी उल्लेख होना चाहिए।

12. **रूढ़िवादिता की संकल्पना (Conservation Concept)** – इस संकल्पना के अन्तर्गत व्यवसाय की आय का ब्यौरा बनाते समय सावधानी रखनी चाहिए कि व्यवसाय का लाभ अनावश्यक रूप से बढ़ा हुआ न दिखे। यदि आय का निर्धारण करते समय अधिक लाभ

दिखाए जाऐंगे तो लाभांशों का वितरण पूंजी में से करना पड़ेगा जो उचित नहीं है। इस संकल्पना के अन्तर्गत समस्त लाभों का लेखा, पुस्तकों में तब तक नहीं करना चाहिए जब तक कि वे अर्जित नहीं हो, लेकिन हानियों की संभावना हो तो उनके लिए पर्याप्त प्रावधान करना चाहिए।

इस संकल्पना के कुछ उदाहरण निम्नलिखित है जिनका पालन लेखाकार करते आ रहे हैं –

(i) स्टॉक का मूल्यांकन लागत मूल्य या बाजार मूल्य, दोनों में जो भी कम हो, उस पर करना चाहिए।

(ii) डूबण व संदिग्ध ऋणों तथा देनदारों पर बट्टे का प्रावधान बनाना चाहिए।

(iii) विनियोगों के मूल्यों में होने वाले उतार चढ़ाव के लिए कोष का निर्माण करना चाहिए।

(iv) अमूर्त परिसम्पत्तियों का अपलेखन करना चाहिए।

(v) मूल्य ह्रास लगाने के लिए स्थायी किश्त पद्धति के बजाय क्रमागत ह्रास पद्धति का उपयोग करना चाहिए।

(vi) संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसियों को चुकाये गये प्रीमियम पर न दिखाकर समर्पण मूल्य पर दिखाना चाहिए।

(vii) ऋण पत्रों के शोधन पर दी जाने वाली प्रब्याजि का निर्गमन के समय ही प्रावधान करना चाहिए।

13. **सारता की संकल्पना (Materiality Concept)** – इस संकल्पना के अन्तर्गत लेखांकन में महत्त्वपूर्ण तथ्यों पर ही ध्यान केन्द्रित करना चाहिए। ऐसी तथ्यों पर जो आय के निर्धारण में महत्त्वपूर्ण नहीं है उनको छोड़ देना चाहिए। कौनसा तथ्य महत्त्वपूर्ण है यह व्यवसाय की प्रकृति, स्वामित्व, प्रबन्ध, आकार एवं नीतियों पर निर्भर करता है। एक फुटकर व्यापारी के लिए फुटकर औजार महत्त्वपूर्ण हो सकते हैं जबकि बड़े उत्पादक के लिए फुटकर औजार महत्त्वपूर्ण नहीं है। एक छोटे व्यापारी के लिए छोटी–छोटी कीलों का महत्त्व है किन्तु स्टील कम्पनी में कीलों की गणना सारहीन मदों में की जावेगी। इस प्रकार कोई ऐसा तर्क संगत तथ्य जो उपयोगकर्ता के निर्णय को प्रभावित करने में सक्षम है तो वह सार तथ्य माना जावेगा।

14. **वस्तुनिष्ठता की संकल्पना (Objectivity Concept)** – इस संकल्पना के अन्तर्गत लेनदेन का लेखा वस्तुनिष्ठ प्रकार से करने की अपेक्षा की जाती है। लेखांकन किसी प्रभावशाली व्यक्ति या लेखाकार से प्रभावित नहीं होना चाहिए। यह तभी संभव है जब प्रत्येक लेनदेन को उसके स्त्रोत प्रलेख या प्रमाणक द्वारा सत्यापित किया जा सके। परिसम्पत्तियों की ऐतिहासिक लागत को लेखांकन का आधार मानने का एक कारण यह है कि इसकी खरीद के बीजक या नकद पत्र उपलब्ध हो सकते हैं लेकिन इसी परिसम्पत्ति का बाजार मूल्य ज्ञात करना आसान नहीं है क्योंकि बाजारमूल्य न केवल एक स्थान से दूसरे स्थान पर भिन्न होगा बल्कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के लिए भी अलग–अलग हो सकता है।

लेखांकन मानक (Accounting Standards) – लेखांकन व्यवसाय की भाषा है जो वित्तीय प्रतिवेदनों के माध्यम से इसके उपयोकर्त्ताओं को व्यवसाय की वित्तीय स्थिति का वर्णन करती है। उपयोगकर्ता इनका तुलनात्मक अध्ययन एवं विश्लेषण कर आवश्यक निर्णय लेते हैं। अत: इनमें एकरूपता व समरूपता होना आवश्यक है।

वित्तीय विवरणों में एकरूपता एवं समरूपता लाने के लिए अप्रैल 1977 में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउन्टेंट्स ऑफ इण्डिया (ICAI) ने लेखा मानक बोर्ड का गठन किया। ले.मा.बो. मानक बनाकर ICAI में प्रस्तुत करता है। ICAI सरकारी, औद्योगिक व अन्य संगठनों में विचार जानने के लिए इनका प्रसारण करती है और विचारों को ध्यान रखते हुए अन्तिम निर्णय लेकर वित्तीय विवरणों में प्रयोग की घोषणा करती है। इन मानकों को बनाते समय अन्तर्राष्ट्रीय मानक निर्धारण निकाय के निर्देशों को भी ध्यान में रखा जाता है क्योंकि भारतीय बोर्ड अन्तर्राष्ट्रीय बोर्ड का सदस्य है। ले.मा.बो. मानकों का समय–समय पर मूल्यांकन भी करता है। इस प्रकार लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों में एकरूपता व समरूपता लाने के लिए बनाए गए नियम, निर्देश एवं अभ्यासों के संबंध में लिखित वाक्यांश है।

भारतीय कम्पनी अधिनियम 1956 में संशोधन कर लेखामानकों का पालन करना अनिवार्य कर दिया गया है। यदि लेखा मानकों की पालना नहीं की जाती है तो कम्पनियों को इस बात का वित्तीय विवरणों में उल्लेख करना पड़ता है।

आई.सी.ए.आई. द्वारा निम्नलिखित लेखा मानक जारी किये गये –

ले.मा. 1 लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण

ले.मा. 2 स्टॉक का मूल्यांकन

ले.मा. 3 रोकड़ प्रवाह विवरण

ले.मा. 4 स्थिति विवरण की तिथि के पश्चात हुए आकस्मिक व्यय तथा घटनाएं

ले.मा. 5 अवधि का शुद्ध लाभ या हानि, पूर्ववर्ती अवधि मदें और लेखांकन नीतियों में परिवर्तन

ले.मा. 6 मूल्य ह्रास लेखांकन

ले.मा. 7 निर्माण प्रसंविदे

ले.मा. 8 शोध व विकास के लिए लेखांकन

ले.मा. 9 आगम मान्यता

ले.मा. 10 स्थायी परिसम्पत्तियों का लेखांकन

ले.मा. 11	विदेशी मुद्रा विनिमय दरों में परिवर्तन के प्रभावों का लेखांकन
ले.मा. 12	सरकारी अनुदानों का लेखांकन
ले.मा. 13	निवेश के लिए लेखांकन
ले.मा. 14	समामेलन का लेखांकन
ले.मा. 15	कर्मचारी लाभ
ले.मा. 16	ऋण लागत
ले. मा. 17	खंडित प्रतिवेदन
ले. मा. 18	संबंधित पार्टी प्रकटीकरण
ले. मा. 19	लीज (पट्टा)
ले. मा. 20	प्रति अंश उपार्जन
ले. मा. 21	समाहित वित्तीय विवरण
ले. मा. 22	आप पर कर का लेखांकन
ले. मा. 23	सहयोगी फर्मों में निवेश का समाहित वित्तीय विवरणों में लेखांकन
ले. मा. 24	विच्छिन्न प्रक्रियाएं
ले. मा. 25	अन्तरिम प्रतिवेदन
ले. मा. 26	अमूर्त परिसम्पत्तियां
ले. मा. 27	संयुक्त उपक्रमों में हितों का वित्तीय प्रतिवेदन
ले. मा. 28	परिसंपत्तियों को क्षति
ले. मा. 29	संभाव्य देनदारियों व संभाव्य परिसम्पत्तियों के लिए प्रावधान

लेखांकन प्रक्रिया (Accounting Process) –

1. पहचान (Indentification) – सर्वप्रथम व्यवसाय में वित्तीय लेनदेन की पहचान की जाती है। यह पहचान स्त्रोत प्रलेख के द्वारा की जाती है जो लेनदेन होते ही तैयार किया जाता है।

2. प्रविष्टिकरण (Recording) – लेनदेन होने के बाद इसकी प्रारम्भिक लेखे की पुस्तकों में प्रविष्टि की जाती है। यह प्रविष्टि रोजनामचे में की जाती है या सहायक बहियों में की जाती है।

3. वर्गीकरण (Classifying) – वर्गीकरण में एक समान प्रविष्टियों को एक स्थान पर लिखा जाता है। यह कार्य खाता बही में किया जाता है जिसे खतौनी कहते हैं।

4. संक्षिप्तिकरण (Summarising) – इसमें खाता बही की सहायता से तलपट तैयार कर गणितात्मक शुद्धता की जांच करते हुए व्यापार व लाभ हानि खाता तथा स्थिति विवरण तैयार किया जाता है।

लेखांकन प्रक्रिया को निम्नलिखित चार्ट द्वारा समझाया जा सकता है –

चार्ट

लेखांकन प्रक्रिया

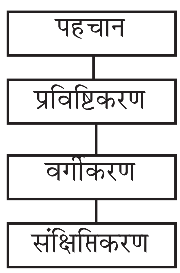

लेखांकन प्रणालियां (Accounting Systems) –

1. एकल अंकन प्रणाली
2. द्वि अंकन प्रणाली
3. भारतीय बही खाता प्रणाली

1. एकल अंकन प्रणाली (Single entry system) – एकल अंकन प्रणाली में द्वि अंकन प्रणाली का पूर्ण ध्यान नहीं रखा जाता है। कुछ संस्थाएँ रोकड़ लेनदेन एवं व्यक्तिगत खातों का ही लेखा करती है तो कुछ अन्य अव्यक्तिगत पक्षों का भी हिसाब रखती है। इनमें कुछ लेनदेनों

का तो दोहरा लेखा हो जाता है तो कुछ का इकहरा लेखा तथा कुछ लेनदेनों का तो लेखा ही नहीं होता है। इसमें लेखा करने के कोई निश्चित नियम नहीं है। सामान्यतया रोकड़ लेनदेन ही करते हैं और रोकड़ बही में लिख देते हैं। उधार लेनदेनों की दशा में उन्हें स्मरण पुस्तक में लिख लिया जाता है। इस प्रकार यह व्यापारिक लेनदेनों के लिखने की एक अपूर्ण एवं अव्यावहारिक प्रणाली है। इसमें शुद्धता जाँचने के लिए तलपट नहीं बनाया जाता है। लाभ हानि का भी अनुमान ही लगाया जा सकता है।

2. द्वि अंकन प्रणाली (Double entry System) – यह प्रणाली द्विपक्षीय संकल्पना पर आधारित है। इसके अनुसार प्रत्येक वित्तीय लेनदेन में दो पक्ष होते हैं तथा प्रत्येक व्यवहार का लेखा दो खाते में करना होता है। एक खाते के नाम पक्ष में तो दूसरे खाते के जमा पक्ष में लेखा किया जाता है। यह प्रणाली एक सम्पूर्ण प्रणाली है। इसमें कपट एवं व्यापार की परिसम्पत्तियों के दुरूपयोग की संभावना कम होती है। इसमें तलपट बनाकर खातों में होने वाली गणितीय अशुद्धियों को सुधारा जा सकता है। इस विधि से रखे गये लेखे न्यायालय में प्रमाणस्वरूप मान्य होते हैं।

3. भारतीय बही खाता प्रणाली (Indian System of Accounting) – हमारे देश में यह प्रणाली हजारों वर्षों से प्रचलित है। इसका उद्‌गम भारत में ही हुआ है। यह विश्व की प्राचीनतम पद्धतियों में से एक है। इस पद्धति में हिसाब किताब लम्बी मुड़ी हुई लाल एवं सलदार बहियों में हिन्दी अथवा अन्य भारतीय भाषाओं में लिखा जाता है। यह विधि पूर्ण वैज्ञानिक है तथा द्विपक्षीय संकल्पना पर आधारित है। इसमें लेनदेनों की प्रारम्भिक प्रविष्टि, खतौनी तथा अन्तिम खाते बनाये जाते हैं। हमारे देश में छोटे और मध्यम श्रेणी के व्यापारी अपना हिसाब किताब रखने के लिए इस पद्धति को ही अपना रहे हैं।

लेखांकन के आधार – सामान्यतया आय एवं व्ययों के लेखांकन के दो आधार लिए जाते हैं –

(1) रोकड़ आधार (Cash Basis)

(2) उपार्जन आधार (Accrual Basis)

(1) रोकड़ आधार – रोकड़ आधार के अन्तर्गत आय को आय तभी माना जाता है जब वह नकद प्राप्त होती है तथा व्यय को नकद भुगतान करने पर ही व्यय माना जाता है। व्यवसाय का जीवन काल लम्बा होता है तथा आय अथवा व्यय कई बार परिस्थितियों अथवा शर्तों के अनुसार चालू वर्ष की अवधि से अधिक अवधि का प्राप्त या भुगतान किया जाता है। उनका लेखा करने से व्यवसाय की भ्रामक स्थिति बन जाती है। इसलिए यह आधार उपयुक्त नहीं माना जा सकता है।

(2) उपार्जन आधार – उपार्जन आधार के अन्तर्गत आयगत आय तथा आयगत व्ययों का लेखांकन नकद भुगतान अथवा नकद प्राप्ति की अपेक्षा उनके उपार्जित होने वाले वर्ष में किया जाना चाहिए। यह व्यवसाय में लाभ की गणना का अधिक श्रेष्ठ आधार है। इसके आधार पर बकाया खर्चे, पूर्वदत व्यय, अर्जित किन्तु अप्राप्त आय तथा अनुपार्जित अथवा अग्रिम प्राप्त आय को समायोजित कर चालू वर्ष की वास्तविक आय व व्ययों को ही लाभ हानि खाते में दिखाया जाता है।

स्वयं जाँचिए

1. रिक्त स्थानों में सही शब्द भरिए –

(क) लेखांकन अभिलेखों में समानुरूपता व .... लाई लाती है।

(ख) अस्तित्व संकल्पना के अन्तर्गत व्यवसाय तथा व्यवसाय के .... का अस्तित्व पृथक-पृथक माना जाता है।

(ग) लेखांकन केवल उन्हीं लेनदेनों का होगा जिनका मूल्यांकन .... में किया जा सकता हो।

(घ) निरन्तरता की संकल्पना में व्यवसाय .... तक चलता रहेगा।

(ङ) आयगत एवं पूंजीगत मदों का विभाजन लेखांकन .... संकल्पना में किया जाता है।

(च) द्विपक्षीय लेखा पद्धति में प्रत्येक लेनदेन एक खाते के नाम पक्ष को तो दूसरे खाते के जमा पक्ष को ....करता है।

(छ) उपार्जन संकल्पना के अन्तर्गत यदि कोई आगम चालू वर्ष से संबंधित है तो चाहे वो इस वर्ष प्राप्त हुई हो या नहीं इस वर्ष के .... खाते में लिखी जावेगी।

(ज) लाभ-हानि खाते तथा स्थिति विवरण बनाने के सम्पूर्ण प्रारूपों का पालन करना कम्पनी अधिनियम द्वारा .... कर दिया गया है।

(झ) स्टॉक का मूल्यांकन बाजार मूल्य या लागत मूल्य दोनों में जो भी .... हो उस पर करना चाहिए।

(ञ) लेखांकन किसी .... व्यक्ति से प्रभावित नहीं होना चाहिए।

2. बताइए कि निम्नलिखित कथन सही है अथवा गलत –

(क) स्वामी द्वारा विनियोजित पूंजी को दायित्व पक्ष में दिखाया जाता है।

(ख) स्थिति विवरण में मुद्रा के मूल्यों में आ रहे परिवर्तन को दर्शाया नहीं जाता है।

(ग) व्यवसाय के अन्तिम खाते व्यवसाय की समाप्ति पर ही बनाये जाते हैं।

(घ) डूबत व संदिग्ध ऋणों का प्रावधान बनाना चाहिए।

(ङ) लेखांकन नीतियों में परिवर्तन करना वर्जित है।

(च) लेखामानकों का पालन करना अनिवार्य कर दिया गया है।

(छ) लेनदेन की पहचान प्रारम्भिक लेखे की पुस्तकों में की जाती है।

(ज) गणितात्मक शुद्धता की जांच तलपट तैयार करके की जाती है।

(झ) एकल अंकन प्रणाली में द्वि अंकन प्रणाली का पूर्ण ध्यान रखा जाता है।

(ञ) भारतीय बही खाता प्रणाली में प्रारम्भिक प्रविष्टि, खतौनी तथा अन्तिम खाते बनाये जाते हैं।

सीखने के उद्देश्यों के संदर्भ में सारांश

सामान्य मान्य लेखांकन सिद्धान्त – सामान्यत: मान्य सिद्धान्तों से तात्पर्य व्यवसाय के वित्तीय प्रकृति के लेनदेनों के अभिलेखन एवं प्रस्तुतिकरण में अपनाये गये नियम व दिशा निर्देश हैं जो इनमें एकरूपता एवं तुलनीयता प्रदान कर सकें। इन्हीं सिद्धान्तों को संकल्पना व प्रथाएं भी कहते हैं। व्यवहार में संकल्पना, अभिधारणा, अवधारणा, परिपाटी, सिद्धान्त, संशोधक सिद्धान्त आदि शब्दों का प्रयोग अदल बदल कर एक दूसरे के स्थान पर किया जाता है, इसलिए इस पुस्तक में इन्हें लेखांकन संकल्पनाएं ही कहा गया है।

लेखांकन संकल्पनाएँ –

1. **अस्तित्व संकल्पना** – इस संकल्पना के अन्तर्गत व्यवसाय तथा व्यवसाय के स्वामी को पृथक–पृथक माना जाता है।
2. **मुद्रा मापन संकल्पना** – इस संकल्पना के अन्तर्गत लेखांकन केवल उन्हीं लेनदेनों या घटनाओं का होगा जिनका मूल्यांकन मुद्रा में किया जा सकता हो।
3. **निरन्तरता की संकल्पना** – इस संकल्पना के अन्तर्गत लेखांकन इस आधार पर किया जाता है कि व्यवसाय दीर्घकाल तक चलता रहेगा।
4. **अवधि संकल्पना** – इस संकल्पना के अन्तर्गत व्यवसाय की स्थिति की जानकारी समय –समय पर दी जानी चाहिए। यह अवधि सामान्यतया एक वर्ष की होती है।
5. **लागत संकल्पना** – इस संकल्पना के अन्तर्गत चल एवं अचल परिसम्पत्तियों का लेखा उनके लागत मूल्य पर किया जाता है। इसमें उस परिसम्पत्ति का प्राप्ति मूल्य, परिवहन व्यय, स्थापना व्यय पर किये गये व्यय सम्मिलित होते हैं जो उस परिसम्पत्ति को काम में लाने योग्य बनाने के लिए आवश्यक है।
6. **द्विपक्षी संकल्पना** – इस संकल्पना के अन्तर्गत प्रत्येक लेनदेन का दो खातों पर प्रभाव पड़ता है, अर्थात एक खाते के नाम पक्ष को तो दूसरे खाते के जमा पक्ष को प्रभावित करता है अत: जमा और नाम का योग हमेशा बराबर रहता है। इस संकल्पना को लेखांकन समीकरण के रूप में इस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है–

   परिसम्पत्तियाँ = देयताएँ + पूँजी
7. **आगम मान्यता संकल्पना** – इस संकल्पना के अन्तर्गत किसी भी आगम को पुस्तकों में तब तक नहीं लिखना चाहिए जब तक उस पर विधि सम्मत अधिकार प्राप्त न हो जावें।
8. **आगम व्यय मिलान संकल्पना** – इस संकल्पना के अन्तर्गत अवधि विशेष में अर्जित आगमों का मिलान उसी अवधि के व्ययों से किया जाता है। इसी के परिणामस्वरूप इन आगमों को अर्जित करने के लिए जो व्यय किये जाते हैं वह उसी लेखा वर्ष से संबंधित होने चाहिए।
9. **उपार्जन संकल्पना** – इस संकल्पना के अन्तर्गत लेखांकन के मौद्रिक प्रभाव का लेखा खातों में उसके उपार्जन समय के अनुसार किया जाता है।
10. **पूर्ण प्रस्तुतिकरण संकल्पना** – इस संकल्पना के अन्तर्गत सभी महत्त्वपूर्ण सूचनाओं का पूर्णरूपेण प्रदर्शन होना चाहिए। सारपूर्ण एवं आवश्यक तथ्यों का उल्लेख वित्तीय विवरणों में टिप्पणियों, पाद टिप्पणियों के रूप में किया जा सकता है।
11. **समानुरूपता की संकल्पना** – इस संकल्पना के अन्तर्गत व्यवसाय को विभिन्न वर्षों में समान लेखा नीतियों एवं सिद्धान्तों को अपनाना चाहिए। तुलनात्मक अध्ययन तभी संभव है जब व्यवसाय अपने खातों के लेखांकन में प्रयोग लाई जाने वाली नीतियों व अभ्यासों को लम्बे समय तक समानता एवं समनुरूपता से अपनाता है।
12. **रूढ़िवादिता की संकल्पना** – इस संकल्पना के अन्तर्गत व्यवसाय की आय का ब्यौरा बनाते समय सावधानी रखनी चाहिए कि व्यवसाय का लाभ अनावश्यक रूप से बढ़ा हुआ न दिखे। इस संकल्पना के अन्तर्गत समस्त लाभों का लेखा, पुस्तकों में तब तक नहीं करना चाहिए जब तक कि वे अर्जित नहीं हो, लेकिन हानियों की संभावना हो तो उनके लिए पर्याप्त प्रावधान करना चाहिए।

13. **सारता की संकल्पना** – इस संकल्पना के अन्तर्गत लेखांकन में महत्त्वपूर्ण तथ्यों पर ही ध्यान केन्द्रित करना चाहिए। कौनसा तथ्य महत्त्वपूर्ण है यह व्यवसाय की प्रकृति, स्वामित्व, प्रबन्ध, आकार एवं नीतियों पर निर्भर करता है।
14. **वस्तुनिष्ठता की संकल्पना** – इस संकल्पना के अन्तर्गत लेनदेन का लेखा वस्तुनिष्ठ प्रकार से करने की अपेक्षा की जाती है। लेखांकन किसी प्रभावशाली व्यक्ति या लेखाकार से प्रभावित नहीं होना चाहिए।

लेखांकन मानक – लेखांकन मानक लेखांकन नियमों, निर्देशों व अभ्यासों के संबंध में वह लिखित वाक्यांश है जो लेखांकन सूचनाओं के उपयोगकर्ताओं के लिए वित्तीय विवरणों में समनुरूपता व एकरूपता लाते हैं। लेखा मानक बोर्ड समय-समय पर इन मानकों का मूल्यांकन भी करता है।

लेखांकन प्रक्रिया – पहचान-प्रविष्टिकरण-वर्गीकरण-संक्षिप्तिकरण –

लेखांकन प्रणालियाँ – लेखांकन की तीन प्रणालियाँ हैं-

1. **एकल अंकन प्रणाली** – इसमें द्वि अंकन प्रणाली का पूर्ण ध्यान नहीं रखा जाता है। इसमें लेखा करने के कोई निश्चित नियम नहीं है।
2. **द्वि अंकन प्रणाली** – इसके अनुसार प्रत्येक वित्तीय लेनदेन में दो पक्ष होते हैं तथा प्रत्येक लेनदेन का लेखा दो खातों में करना होता है। एक खाते के नाम पक्ष में तो दूसरे खाते के जमा पक्ष में लेखा किया जाता है। यह एक सम्पूर्ण प्रणाली है।
3. **भारतीय बही खाता प्रणाली** – इसका उद्‌गम भारत में ही हुआ है। हिसाब-किताब लम्बी मुड़ी हुई लाल एवं सलदार बहियों में हिन्दी अथवा अन्य भारतीय भाषाओं में लिखा जाता है। यह विधि द्विपक्षीय संकल्पना पर आधारित है।

लेखांकन के आधार – लेखांकन के दो आधार हैं-

1. **रोकड़ आधार** – इसके अन्तर्गत आय को आय तभी माना जा सकता है जब वह नकद प्राप्त होती है तथा व्यय को नकद भुगतान करने पर ही व्यय माना जाता है।
2. **उपार्जन आधार** – इसके अन्तर्गत आयगत आय तथा आयगत व्ययों का उपार्जित होने वाले वर्ष में लेखांकन किया जाता है। अर्थात् चालू वर्ष की वास्तविक आय व व्ययों को ही लाभ हानि खाते में दिखाया जाता है।

अभ्यास के लिए प्रश्न

बहुचयनात्मक प्रश्न –

1. व्यावसायिक इकाई को निकट भविष्य में नहीं बेचने की भावना निहित है-
   (अ) अस्तित्व संकल्पना में (ब) रूढ़िवादिता की संकल्पना में
   (स) निरन्तरता की संकल्पना में (द) उपार्जन संकल्पना में
2. व्यवसाय के जीवनकाल में किस संकल्पना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष में विवरण बनाए जाते हैं-
   (अ) लेखांकन अविध संकल्पना (ब) रोकड़ संकल्पना
   (स) विवेकशीलता संकल्पना (द) उपार्जन संकल्पना
3. वित्तीय विवरणों को निर्णय में सहायक बनाने वाला प्राथमिक गुण है-
   (अ) रोकड़ व उपार्जन आधार (ब) वस्तुनिष्ठता व पूर्वाग्रह से मुक्ति
   (स) विश्वसनीयता व तुलनात्मकता (द) इनमें से कोई नहीं
4. व्यवसाय द्वारा साल दर साल क्रमागत ह्रास पद्धति अपनाने का कारण है-
   (अ) रूढ़िवादिता संकल्पना (ब) समनुरूपता संकल्पना
   (स) आगम मान्यता संकल्पना (द) मुद्रा मापन संकल्पना
5. लेखांकन किया जाता है-
   (अ) केवल ₹ में (ब) केवल किलोग्राम में
   (स) केवल एकड़ में (द) इन सब में
6. लेखांकन वर्ष में व्ययों के आकलन की संकल्पना है-
   (अ) मुद्रामापन संकल्पना (ब) आय व्यय मिलान संकल्पना
   (स) द्वि पक्षीय संकल्पना (द) वस्तुनिष्ठता की संकल्पना
7. समय के अनुसार आगम व व्ययों की पहचान की जाती है-
   (अ) अस्तित्व संकल्पना में (ब) लागत संकल्पना में
   (स) सारता संकल्पना में (द) इनमें से कोई नहीं

8. विक्रय के समय ही आमद की मान्यता दी जाती है–
   (अ) लागत मान्यता संकल्पना में (ब) अस्तित्व संकल्पना में
   (स) आगम मान्यता संकल्पना में (द) रूढ़िवादिता की संकल्पना में
9. जिस प्रणाली में एक खाते के नाम तथा दूसरे खाते के जमा किया जाता है वह है–
   (अ) एकल अंकन प्रणाली (ब) द्वि अंकन प्रणाली
   (स) अपूर्ण लेखा प्रणाली (द) रोकड़ लेखा प्रणाली
10. लेखांकन के किस आधार में आय को आय तभी माना जाता है जब वह नकद प्राप्त होती है–
   (अ) उपार्जन आधार में (ब) रोकड़ आधार में
   (स) द्वि पक्षीय आधार में (द) इन सभी में
11. लेखांकन प्रक्रिया है–
   (अ) पहचान–प्रविष्टिकरण–वर्गीकरण–संक्षिप्तिकरण (ब) प्रविष्टिकरण–वर्गीकरण–संक्षिप्तिकरण–पहचान
   (स) संक्षिप्तिकरण–प्रविष्टिकरण–वर्गीकरण–पहचान (द) पहचान–प्रविष्टिकरण–संक्षिप्तिकरण–वर्गीकरण

अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न

1. सामान्यतया लेखा अवधि कितने वर्ष की होती है?
2. आगम मान्यता संकल्पना क्या है?
3. परिसम्पत्ति की लागत में किन–किन व्ययों को जोड़ा जाता है?
4. सारता की संकल्पना में किस बात का ध्यान देने के लिए कहा गया है?
5. वस्तुनिष्ठता संकल्पना में क्या अपेक्षा की जाती है?
6. विभिन्न लेखांकन वर्षों में समान लेखांकन विधियों का प्रयोग करने हेतु कौनसी संकल्पना कहती है?
7. समय के अनुसार लेखांकन कौनसी संकल्पना में किया जाता है?
8. एकल अंकन प्रणाली की क्या विशेषता है?
9. द्वि अंकन प्रणाली की क्या विशेषता है?
10. भारतीय बही खाता प्रणाली में लेखांकन कौनसी भाषा में किया जाता है?
11. लेखांकन के आधार कौन–कौन से हैं।
12. लेखांकन प्रक्रिया क्या है?
13. लेखांकन मानक किस संस्था द्वारा तैयार किये जाते हैं?
14. किस अधिनियम में लेखांकन मानकों की पालना को अनिवार्य कर दिया गया है?
15. भारत में वित्तीय विवरणों में एकरूपता एवं समनुरूपता लाने का उत्तरदायित्व किस संस्था ने उठाया?

लघु उत्तरात्मक प्रश्न –

1. आमद को मान्य कब माना जाता है? क्या इसके कोई अपवाद है? लिखिए।
2. स्थायी परिसम्पत्ति से क्या आशय है? कोई चार नाम दीजिये।
3. कोई चार लेखांकन संकल्पनाओं के नाम लिखिये।
4. रूढ़िवादिता की संकल्पना के उपयोगों के चार उदाहरण दीजिये।
5. कोई तीन लेखांकन विधियों के नाम बताइये।
6. भारतीय लेखा प्रणाली की दो विशेषताएँ लिखिये।
7. पूर्ण प्रकटीकरण की संकल्पना में स्थिति विवरण के नीचे किन–किन मदों की टिप्पणी दी जाती है? उदाहरण सहित समझाइये।
8. रूढ़िवादिता की संकल्पना में स्टॉक के मूल्यांकन की परम्परा क्या है?
9. परिसम्पत्तियों की ऐतिहासिक लागत को आधार मानने का क्या कारण है?
10. क्या कोई व्यवसाय लेखांकन में अपनाई जाने वाली नीतियों व अभ्यासों को परिवर्तित कर सकता है? कारण सहित लिखिये।
11. लेखांकन के कोई चार मानक बताइये।
12. लेखांकन प्रक्रिया को चार्ट द्वारा समझाइये।

निबन्धात्मक प्रश्न –

1. लेखांकन में मान्य सिद्धान्त की परिभाषा दीजिये। मान्य सिद्धान्तों को अलग–अलग विद्वानों द्वारा किन–किन नामों से पुकारा जाता है?

कोई चार मान्य सिद्धान्त समझाइये।

2. लेखांकन की संकल्पनाओं से आप क्या समझते हैं? कोई चार संकल्पनाओं को विस्तार से समझाइये।
3. लेखांकन मानक क्या है? इनके बनाने की क्यों आवश्यकता हुई? इन्हें किस संस्था द्वारा तैयार किया जाता है? कोई चार मानकों के बारे में बताइये।
4. लेखांकन प्रक्रिया को चित्र सहित विस्तार से समझाइये।
5. लेखांकन के विभिन्न आधारों को विस्तार से समझाइये।

स्वयं जांचिये के उत्तर

1.	(क) एकरूपता	(ख) स्वामी	(ग) मुद्रा	(घ) दीर्घकाल
	(ङ) अवधि	(च) प्रभावित	(छ) लाभहानि	(ज) अनिवार्य
	(झ) कम	(ञ) प्रभावशाली		
2.	(क) सही	(ख) सही	(ग) गलत	(घ) सही
	(ङ) गलत	(च) सही	(छ) गलत	(ज) सही
	(झ) गलत	(ञ) सही		

बहुचयनात्मक प्रश्नों के उत्तर

प्र. सं.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
उत्तर	स	अ	स	ब	अ	ब	द	स	ब	ब	अ